उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 194 /गोपनीय/2010 जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2010
दो–2–1/2010 (भाग–ए)

नव नियुक्त, नौ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय चरण की कार्यशाला "Foundation Course Training Programme", जो दिनांक **08–03–2010 से 20–03–2010** तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक **08–03–2010** को प्रातः काल ठीक **9:30** बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है ।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :–

1. अपरिहार्य मामलों को छोड कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक **08–03–2010** को प्रातः काल ठीक **9:30** बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें। महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें।
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके द्वारा पारित/विरचित किये गये निम्न की एक प्रति प्रशिक्षण प्रारंभ होने से यथासंभव पूर्व संस्थान को आवश्यक रूप से भेजें:–
   (1) सत्र प्रकरण का निर्णय जिसमें साक्षी पक्ष द्रोही न हुआ हो,
   (2) व्यवहार वाद (अ) का निर्णय,
   (3) व्यवहार वाद अपील (अ) का निर्णय,
   (4) आपराधिक अपील/पुनरीक्षण का निर्णय,
   (5) 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिलिखित अभियुक्त का बयान,
   (6) वाद विषय (Issues)
   (7) आरोप (Charges)
5. टी0 ए0 एवं डी0 ए0 केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं ।
6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तो का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन या बस स्टेण्ड पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी । अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक **0761–2628679,** पर समयावधि रहते सूचित करें ।
8. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक

के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी। इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी0 ए0 एवं डी0 ए0 क्लेम करने के पात्र होगें।

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

23.2.10

(जयन्त चव्हाण)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 195 /गोपनीय/2010
दो–2–1/2010 (भाग–ए)

जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2010

प्रतिलिपिः–

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भेपाल–6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल–462004, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

3. प्रधान महालेखाकार,(लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर– 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।

4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश–ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

5. 1. श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर,

   2. श्री सुशांत हुद्दार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाडा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, छिंदवाडा,

   3. श्री धर्मिन्दर सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर,

   4. श्री उमेश पाण्डव, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद,

   5. श्री गुरूबक्श सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना,

   6. श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सतना,

   7. श्री ललित किशोर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, दमोह,

   8. श्री अनीश कुमार मिश्रा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, धार,

   9. श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी,

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित । उक्त सभी न्यायिक अधिकारियों, को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में प्रशिक्षण हेतु इस आदेश में उल्लिखित दिनांक एवं समय पर अनिवार्यतः उपस्थित होंवें।

6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर /छिन्दवाड़ा/ ग्वालियर/ होशंगाबाद / मुरैना/ सतना / दमोह / धार / शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित न्यायिक अधिकारियों को संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में प्रशिक्षण हेतु इस आदेश में उल्लिखित दिनांक एवं समय पर अनिवार्यतः उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

7. जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), जे0ई0–1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर–452001/जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), 28/बी, रेसकार्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0)को सूचनार्थ अग्रेषित।

8. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/ इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।

9. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

10. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

11. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (न्यायिक) / (निरीक्षण एवं सतर्कता)/ (I. L. R. & Examination)/ (Examination & Training) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

12. रजिस्ट्रार (व्ही0एल)/(जिला स्थापना)/ (न्यायिक–1) (न्यायिक–2)/ (प्रशासन)/ (निरीक्षण एवं सतर्कता)/ (Exam & Labour Judiciary)/ रजिस्ट्रार एवं सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/(न्यायिक), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

13. रजिस्ट्रार–कम–माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

14. संचालक/अतिरिक्त संचालक/उप संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

15. माननीय न्यायाधिपति श्री ———————————————— के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

16. माननीय न्यायाधिपति श्री ———————————————— के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

17. माननीय न्यायाधिपति श्री ———————————————— के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

18. अनुभाग अधिकारी —————————— पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/ वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक, कम्प्यूटर विभाग, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

19. रजिस्ट्रार जनरल की निजी सचिव एवं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

23.2.10

(जयन्त चव्हाण)
रजिस्ट्रार जनरल